न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 310 सन 2019

अनवान :–

1. रविन्द्र पुत्र केसूराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. केसूराम पुत्र जसुराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संदीप वर्मा पुत्र केसूराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पुष्पादेवी पुत्री केसूराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खूडिया, अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 97/482 के प0न0 135/13(68) के किला न0 3/3 की 0.203 ,4/0.013 ,8/2 की 0.163 ,9/2 की 0.1900 ,कुल 0.569 प0न0 136/9 (138) के किला न0 21/2 की 0.227 , 22/1 की 0.288 ,23/3 की 0.215 ,24/2 की 0.228 ,कुल 0.898हैक प0न0 136/18 (175) किला न0 9/2 की 0.133 ,10 ता 12/0.759 ,20/0.253 ,कुल 1.145हैक प0न0 136/10 (176) किला न0 15/3 की 0.012 ,16/2 की 0.039 ,कुल 0.051हैक प0न0 136/11 (201) किला न0 11 ,12/0.506 , 13/2 की 0.228 ,कुल 0.734हैक प0न0 117/46(641) के किला न0 1/2 की 0.228 , 2, 3 ,8 ,9/1.0120हैक किला न0 10/1 की 0.228 ,11/2 की 0.228 ,12 ,13/0.506 18/2 की 0.102हैक 19/2 की 0.241 कुल 2.545 कुल किता 29 की 5.942हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जसूराम वल्द नानू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जसूराम वल्द नानू के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जसूराम वल्द नानू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते है बाहमी बटवारा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जसूराम वल्द नानू के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 97/482 की कुल किता 29 की 5.942हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जसूराम वल्द नानू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जसूराम वल्द नानू के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जसूराम वल्द नानू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते है बाहमी बटवारा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 97/482 की कुल किता 29 की 5.942हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2012 रोही मौजा बिरकाली के अनुसार वाद भूमि जसूराम वल्द नानु के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जसूराम वल्द नानु के नाम से दर्ज है वादी के दादा जसूराम वल्द नानु के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादी ने काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 182/237 की कुल भूमि 5.942हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज के वादी रविन्द्र रोही मौजा बिरकाली के प0न0 136/9 (138) किला न0 23/3 की 0.215 ,24/2 की 0.228 ,प0न0 136/11 (201) किला न0 11 ,12/0.506 ,13/2 की 0.228 ,प0न0 117/46(641) किला न0 12/1 की 0.228 ,13/0. 253 ,18/2 की 0.102 ,19/2 की 0.241 कुल 1.981हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा बिरकाली के प0न0 136/18(175) के किला न09/2 की 0.133हैक , 10 ता 12/0.759 ,20/0.253 ,प0न0 136/10 (176) के किला न0 15/3 की 0.012 ,16/2 की 0.039 , प0न0 117/46(641) के किला न0 8/2 की 12/2 की 0.045हैक 9/0.253 ,10/1 की 0.228 ,11/0.228 , कुल 1.980हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 135/13(68) किला न0 3/3 की 0.203 ,4/0.013 ,8/2 की 0.163 ,9/2 की 0.190 ,प0न0 136/9 (138) के किला न0 21/2 की 0.227 ,22/1 की 0.228 ,प0न0117/46(641) के किला न0 1/2 की 0.228 ,2 ,3/0.506 ,8/1की 0. 223 , कुल 1.981हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रविन्द्र पुत्र केसूराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 केसूराम पुत्र जसुराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संदीप वर्मा पुत्र केसूराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पुष्पादेवी पुत्री केसूराम जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 221 सन 2019 निर्णय दिनांक– 3/1/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 182/237 की कुल भूमि 5.942हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज के वादी रविन्द्र रोही मौजा बिरकाली के प0न0 136/9 (138) किला न0 23/3 की 0.215 ,24/2 की 0.228 ,प0न0 136/11 (201) किला न0 11 ,12/0.506 ,13/2 की 0.228 ,प0न0 117/46(641) किला न0 12/1 की 0.228 ,13/0.253 ,18/2 की 0.102 ,19/2 की 0.241 कुल 1.981हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा बिरकाली के प0न0 136/18(175) के किला न09/2 की 0.133हैक , 10 ता 12/0.759 ,20/0.253 ,प0न0 136/10 (176) के किला न0 15/3 की 0.012 ,16/2 की 0.039 , प0न0 117/46(641) के किला न0 8/2 की 12/2 की 0.045हैक 9/0.253 ,10/1 की 0. 228 ,11/0.228 , कुल 1.980हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 135/13(68) किला न0 3/3 की 0.203 ,4/0.013 ,8/2 की 0.163 ,9/2 की 0.190 ,प0न0 136/9 (138) के किला न0 21/2 की 0.227 ,22/1 की 0.228 ,प0न0117/46(641) के किला न0 1/2 की 0.228 ,2 ,3/0.506 ,8/1की 0.223 , कुल 1.981हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/1/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)